सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—। आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2026 / 13

दर्ज तिथिः— 03.02.2026

1. सुल्तानदान पुत्र रामूदान जाति चारण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)
2. ओमप्रकाश पुत्र पूरणाराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. कौशला पुत्री जगनाराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. गीता देवी पत्नि नेकीराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. चन्द्रावली देवी पत्नि जगनाराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. जयसिंह पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. जीताराम पुत्र रतिराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. तुलछाराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
9. तारामणी पत्नि बंशीलाल जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
10. थापी देवी पत्नि पुर्णराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
11. नाथूराम पुत्र थाणाराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
12. परमेशवरी पुत्री रतिराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
13. पानादेवी थाणाराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
14. भंवर सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति गुर्जर निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
15. भारती जांगीड पत्नि निर्मल कुमार जांगीड खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
16. महिपाल पुत्र जगनाराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
17. मोहर सिंह डेडाराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
18. रूकमणी पत्नि रतिराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
19. लच्छी पुत्री पुर्णराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
20. विकम पुत्र धाणाराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
21. श्रवणी पुत्री पुर्णराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
22. सरोज पत्नि सुनिल जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
23. सोना पुत्री थाणाराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
24. अनिल कुमार पुत्र इंदाराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
25. धूनी पत्नि केशराराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
26. ज्यान देवी पत्नि सत्यनारायण जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:30:21 IST
Reason: SelfAttested

27.बाबूलाल पुत्र सत्यनारायण जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
28.भगताराम पुत्र केसराराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
29.रणवीर पुत्र सत्यनारायण जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
30.संतोष पत्नि इंद्राराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
31.तहसीलदार, चूरू

................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री हनुमानसिंह राठौड़
अप्रार्थी सं. 15ः– श्री धन्नाराम सैनी
अप्रार्थी सं. 26, 28, 29ः– श्री अभिषेक पूनियां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–: निर्णय :–

निर्णय तिथिः– 27.04.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 239 तादादी 3.1236 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 465 तादादी 2.4535 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 468 तादादी 0.3414 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 5.9185 हैक्टेयर रोही खासोली पटवार हल्का खासोली भू.अभि.नि.क्षेत्र रतननगर तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है प्रमाणस्वरूप जमाबन्दी सम्वत 2070–73 पेश कि जा रही है।
2. प्रार्थी की उक्त भूमि पर कब्जा एवं काश्त स्वयं प्रार्थी का ही है तथा प्रार्थी लगातार उक्त कृषि भूमि को काश्त करता चला आ रहा है।
3. प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 468 रोही खासोली तहसील व जिला चूरू के पड़ोसी खातेदार ने उक्त भूमि के सीमाचिन्हों को नष्ट कर दिये है, तथा सीमा को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद व तनाव रहता है। इसलिये प्रार्थी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह अपनी कृषि भूमि की चारो सीमाओं का सीमाकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवा लेवे, जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
4. प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कहा एवं कहलवाया कि प्रार्थी की कृषि भूमि की सीमाओं को नष्ट नहीं करे तथा नापकर सीमाज्ञान करवा लेवे परन्तु वे पहले तो टालमटोल करते रहे अंत में दिनांक 23.06.2025 को ऐसा करने से स्पष्ट [illegible] दिया तथा प्रार्थी खातेदार काश्तकार होने से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।
5. तहसीलदार चूरू को अप्रार्थी संख्या 31 के रूप में शामिल किया गया है तहसीलदार चूरू के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं बाहा गया है सभी प्रक्रिया तहसीलदार चूरू के माध्यम से होनी है, जिस कारण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार को बतौर अप्रार्थी संख्या 31 बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:30:21 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रार्थी पत्थरगढी व सीमाज्ञान के लिये निर्धारित फीस व खर्चा वहन करने के लिये तैयार है, तथा जब भी अदालतवाला आदेश करेगें, तो आवश्यक फीस जमा करवा दी जावेगी।

7. विवादित कृषि भूमि श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण अदालतवाला को प्रार्थना पत्र हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

8. अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज किये जावेगें।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 468 तादादी 0.3414 हैक्टयेर रोही खासोली तहसील व जिला चूरू की सीमाओं का सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमा पर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) करवाई जावें प्रार्थी उचित शुल्क देने हेतु तैयार है। श्रीमानजी की कृपा होगी।

9. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 15 की ओर से अधिवक्ता श्री धन्नाराम सैनी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 26, 28, 29 की ओर से अधिवक्ता श्री अभिषेक पूनियां ने वकालतनामा पेश किया एवं अधिवक्ता ने आदेशिका पर हितों को सुरक्षित रखते हुए न्यायालय कोई निर्णय करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होना अंकन किया है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 14, 16 ता 25, 27, 30 को विधिवत तामील होने के उपरान्त भी उनके द्वारा उपस्थित होकर जवाब/हाजिरी प्रस्तुत नहीं की गई, अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 31 भूमिधारी है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 15 की ओर से जवाब प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया।

1. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 प्रार्थी प्रमाणित साक्ष्य से स्वय प्रमाणित करे।
2. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 प्रार्थी प्रमाणित साक्ष्य से स्वय प्रमाणित करे।
3. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 जिस प्रकार से अंकित की गयी है स्वीकार नही अस्वीकार की जाती है इस मंद में गलत अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 468 के पड़ौसी खातेदार ने उक्त भूमि के सीमा चिन्हों को नष्ट दिये है। मौके पर अप्रार्थी सख्या 15 के किसी प्रकार का विवाद हो पत्थरगढ़ी की आवश्यकता हो जबकि वास्तविक तथ्य यहकि अप्रार्थी संख्या 15 के साथ किसी प्रकार का विवाद नही है। प्रार्थी सुल्तानराम के खेत के पास में अप्रार्थी संख्या 15 का हिस्सा नही है प्रार्थी के हिस्से के पूर्व में क्रमश सुलोचना पत्नि ओमप्रकाश मेघवाल, पुष्पा देवी पत्नि बनवारी लाल जागिड़, भंवर गुर्जर तथा नाथुराम पुत्र थानाराम, पाना देवी पत्नि थानाराम, सोना देवी पुत्री थानाराम, नेकी राम जाट, तारामणी जाट, सरोज जाट, का खेत पड़ता है। अप्रार्थी संख्या 15 को गलत रूप से पक्षकार बनाया गया है।
4. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 प्रार्थी प्रमाणित साक्ष्य से स्वय प्रमाणित करे।
5. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 कानुनी है।
6. प्रार्थना पत्र की मद [illegible] है।
7. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 कानुनी [illegible]
8. प्रार्थना पत्र की मद [illegible] जायेगा।
9. प्रार्थना पत्र चाहा [illegible] है।

10. अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस तर्क दिया कि [illegible] विवादित खसरा नंबरों का पंजीकृत खातेदार काश्तकार है। राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 128 यह स्पष्ट करती है कि यदि किन्हीं दो खेतों की सीमाओं को लेकर विवाद है या सीमा चिह्न नष्ट कर दिए गए

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:30:21 IST
Reason: SelfAttested

हैं, तो राजस्व न्यायालय को यह अधिकार है कि वह उनका पुनः सीमांकन और पत्थरगढ़ी करवाए। वर्तमान मामले में अप्रार्थी द्वारा आए दिन सींव को खुर्द–बुर्द किया जा रहा है, जिससे प्रार्थी का विधिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। माननीय न्यायालय का ध्यान दिनांक 09.06.2025 की हल्का पटवारी की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। तहसीलदार महोदय के आदेश पर हुए उस सीमाज्ञान में स्पष्ट पाया गया कि मौके पर प्रार्थी का रकबा राजस्व रिकॉर्ड से कम है । पत्थरगढ़ी का उद्देश्य किसी का हक छीनना नहीं, बल्कि केवल रिकॉर्ड की स्थिति मौके पर स्पष्ट की जाती है। इससे भविष्य में होने वाले विवाद की संभावना समाप्त होगी। अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 26, 28, 29 ने आदेशिका पर हितों को सुरक्षित रखते हुए न्यायालय कोई निर्णय करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होना अंकन किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 15 के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थी सुल्तानराम के खेत के पास में अप्रार्थी संख्या 15 का हिस्सा नही है प्रार्थी के हिस्से के पूर्व में क्रमश सुलोचना पत्नि ओमप्रकाश मेघवाल, पुष्पा देवी पत्नि बनवारी लाल जागिड़, भंवर गुर्जर तथा नाथुराम पुत्र थानाराम, पाना देवी पत्नि थानाराम, सोना देवी पुत्री थानाराम, नेकी राम जाट, तारामणी जाट, सरोज जाट, का खेत पड़ता है। अप्रार्थी संख्या 15 को गलत रूप से पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

11. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

12. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने के [illegible] के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–[illegible] गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:30:21 IST
Reason: SelfAttested

> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

13. आज यह प्रार्थना—पत्र धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सीमा—ज्ञान (सीमांकन) एवं पत्थरगढ़ी के संबंध में निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी सुल्तानदान पुत्र रामूदान द्वारा विरुद्ध अप्रार्थीगण (कुल 31) ग्राम खासोली, तहसील व जिला चूरू के विरुद्ध पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी ग्राम खासोली के खसरा नम्बर 239 तादादी 3.1236 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 465 तादादी 2.4535 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 468 तादादी 0.3414 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 5.9185 हैक्टेयर रोही खासोली पटवार हल्का खासोली भू.अभि.नि.क्षेत्र रतननगर का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त कृषि भूमि के पड़ोसी खातेदारों ने भूमि के सीमा चिन्हों को नष्ट कर दिया है, जिससे सीमाओं को लेकर निरंतर विवाद एवं शांति भंग की आशंका बनी रहती है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की चारों सीमाओं का राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सीमाज्ञान करवाकर पुख्ता पत्थरगढ़ी करवाने की प्रार्थना की है।
14. अप्रार्थी संख्या 15 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर तर्क दिया गया कि उनका खेत प्रार्थी के खेत के समीप स्थित नहीं है, अतः उन्हें अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 26, 28 एवं 29 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने उपस्थित होकर न्यायालय की आदेशिका पर अपनी 'अनापत्ति' इस शर्त के साथ अंकित की कि उनके विधिक हितों को सुरक्षित रखा जावे। शेष निजी अप्रार्थीगण (संख्या 2 से 14, 16 से 25, 27 एवं 30) को विधिवत तामील होने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
15. उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया। धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि की सीमा निश्चित करवाने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2070—73 से उसका उक्त खसरा हक व हिस्सा प्रमाणित है।
16. प्रार्थी का कथन है कि सीमा चिन्ह नष्ट हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर पैमाइश करवाना ही विवाद के स्थाई समाधान का एकमात्र विकल्प है। चूंकि सीमाज्ञान राजस्व प्रक्रिया है और उपस्थित अप्रार्थीगण ने रिकॉर्ड के अनुसार पैमाइश पर कोई विधिक आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:30:21 IST
Reason: SelfAttested

आदेश [illegible]क

प्रार्थी की ओर से [illegible] धारा 111, 128 भू—राजस्व अधिनियम 1956 क[illegible]र आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार चूरू खसरा संख्या 239/3[illegible]6 हैक्टेयर, खसरा संख्या 465/2.4535 हैक्टेयर, खसरा संख्या 468/0.3414 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 5.9185 हैक्टेयर रोही खासोली पटवार हल्का खासोली भू.अ.नि. क्षेत्र

रतननगर की नपती एवं सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू—अभिलेख निरीक्षक की निष्पक्ष टीम गठित कर मौके पर पुख्ता केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए सीमा के समीप सभी खातेदारों की उपस्थिति में राजस्व अभिलेखों एवं नक्शे के अनुसार विधिवत सीमाकंन एवं पत्थरगढ़ी करावें। संबंधित पक्षकारों / हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत विधिवत नोटिस / सूचना तामील करवाते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। यह आदेश केवल सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी तक सीमित रहेगा तथा इससे किसी भी पक्ष के स्वामित्व, कब्जा अथवा विभाजन संबंधी अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। सीमाज्ञान का राजकीय शुल्क एवं पत्थरगढ़ी का समस्त व्यय प्रार्थी द्वारा वहन किया जाएगा।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार चूरू को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 27.04.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मुद्रा न्यायालय से खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:30:21 IST
Reason: SelfAttested